रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 66] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 9, 2004/माघ 20, 1925
No. 66] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 9, 2004/MAGHA 20, 1925

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 2004

सा.का.नि. 106(अ).—केन्द्रीय सरकार, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 63 की उपधारा (1) के खंड (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चिड़ियाघर की मान्यता नियम, 1992 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम चिड़ियाघर को मान्यता (संशोधन) नियम, 2004 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. चिड़ियाघर मान्यता नियम, 1992 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2 में :-

(क) खंड (घ घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(घ घ) "अति संकटापन्न प्रजाति" से बाघ, एशियाई शेर और पैन्थर से भिन्न ऐसी संकटापन्न प्रजाति अभिप्रेत है जिनकी देश में कुल संख्या सभी चिड़ियाघरों में कुल मिलाकर 200 से अधिक नहीं है" ।

(ख) खंड (च) के पश्चात, निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(चच) "बचाव केन्द्र" से अभिप्रेत इस अधिनियम की अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट पशुओं की देखभाल के लिए स्थापित केन्द्र जो लोगों के प्रदर्शन के लिए नहीं खुले हैं ।"

3 उक्त नियमों के नियम 10 में, -

(i) खंड (1) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(1) किसी चिड़ियाघर के संचालन का प्रमुख उद्देश्य वन्य जीवों का संरक्षण करना होगा और कोई चिड़ियाघर किसी ऐसे क्रियाकलाप की अनुज्ञा नहीं देगा जो वन्य पशुओं के कल्याण से असंगत है ।"

(ii) खंड (3) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :-

"(3क) कोई भी चिड़ियाघर किसी भी पशु के प्रति/ पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) के अधीन प्रतिषिद्ध क्रूरता नहीं होने देगा ।"

"(3ख) ऐसी प्रजातियों से संबंधित पशुओं को, जिनके करतब दिखाने पर पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) के अधीन पाबंदी लगा दी गई है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जाएगा ।

परन्तु ऐसे पशु स्थायी रूप से उपयुक्त आवास सुविधा सहित सर्कसों द्वारा उनके पसंद के किसी स्थान पर रखे जा सकेंगे ।"

(iii) खंड (11क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(11क) प्रत्येक चिड़ियाघर, चिड़ियाघर में रखे गये पशुओं के लिए भूमि, पानी, बिजली और क्षेत्र की वातावरणीय स्थिति को ध्यान में रखतें हुए, एक संग्रहण योजना तैयार करेगा और चिड़ियाघर में संप्रदर्शित करेगा ।"

"(11ख) बचाव केन्द्र, मुख्य वन्यजीव वार्डन को सूचित रखतें हुए उनके पास लाए वन्य पशुओं को स्वीकार कर सकेगा ।"

(iv) खंड (14क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(14क) प्रत्येक चिड़ियाघर में निम्नलिखित वर्णन और अर्हताओं वाले पशुचिकित्सक होंगे –

प्रवर्ग	ज्येष्ठ पशु चिकित्सक	कनिष्ठ पशु चिकित्सक
विशाल चिड़ियाघर	1	1
मध्यम चिड़ियाघर	1	0
छोटे चिड़ियाघर	1	0

ज्येष्ठ पशुचिकित्सक के पास बी. वी. एस सी और ए एच की न्यूनतम शैक्षिक अर्हता या समतुल्य हो और केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा मान्यताप्राप्त किसी चिड़ियाघर में न्यूनतम 5 वर्ष का कार्य अनुभव भी हो और राज्य पशुचिकित्सा परिषद या भारतीय पशुचिकित्सा परिषद से सम्यकतः रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए ।

कनिष्ठ पशुचिकित्सक के पास बी. वी. एस सी और ए एच की न्यूनतम शैक्षिक अर्हता हो और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से चिड़ियाघर और वन्यजीव रोग प्रबंधन या वन्यजीव रोग एंव प्रबंधन में मास्टर डिग्री हो

और राज्य पशुचिकित्सा परिषद या भारतीय पशुचिकित्सा परिषद से सम्यकतः रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए ।"

(v) खंड (16) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(16) किसी चिड़ियाघर में सभी पशुबाड़े इस प्रकार से डिजाइन किए जाऐंगे ताकि उनके भीतर रखे गए पशुओं की सभी जीवी अपेक्षाऐं पूर्ण हो जाएँ । बाड़े ऐसे आकार के होंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पशु अपने स्वछंद विचरण और अभ्यास के लिए स्थान पा सकें और झुंडों में रहने वाले पशुओं पर किसी विशिष्ट पशु का अधिपत्य न बन सके । ऐसी प्रजातियों की दशा में जिन्हें आचरण या जैविक कारणों से समुह में न रखा जा सके, प्रत्येक पशु के लिए पृथक-पृथक बाड़ों का उपबंध किया जाएगा । बाड़े इन नियमों के परिशिष्ट - 2 में दिए गये आयामों से छोटे नहीं होंगे । ये आयाम सर्कसों पर लागू नहीं होंगे। तथापि, जब वे अभिवहन में न हो, सर्कस पशुओं के विचरण और अभ्यास के लिए स्थान का उपबंध करेंगे ।"

(vi) खंड (18) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(18)चिड़ियाघर में प्रत्येक स्तनपायी को खाने की व्यवस्था, खिलाने के कक्ष/ विश्राम कक्ष या काल मे, की जाएगी । खाना खिलाने के कक्षों या कालों की संख्या और आकार भी ऐसा होगा जिससे कि शक्तिशाली पशु अन्य पशुओं को पर्याप्त खाना खाने से वंचित न कर सकें । संकटापन्न स्तनपाई प्रजातियों के लिए इन नियमों के परिशिष्ट–1 में यथाविनिर्दिष्ट आयामों के पृथक-- पृथक खाना खिलाने के कक्ष/ रात्रि विश्राम कक्षों की व्यवस्था की जाएगी । प्रत्येक कक्ष / कोठरी में प्रजातियों की जैविक आवश्यकताओं के अनुसार आराम करने, खाना खिलाने, पानीं पिलाने और अभ्यास करने के लिऐ सुविधाऐं प्रदान की जाऐंगी । प्रत्येक कक्ष/ विश्राम कक्ष/ बाड़े में पशुओं के आराम और

कल्याण के लिए उचित हवा और प्रकाश की व्यवस्था होगी । ये आयाम अभिवहन में सर्कसों पर लागू नहीं होगी ।"

(vii) खंड (31) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(31) प्रत्येक विशाल और मध्यम चिड़ियाघर के पास पूर्ण विकसित पशुचिकित्सा यूनिट होगी जिसमें आधारिक नैदानिक सुविधाऐं, औषधियों की व्यापक रेंज और पशु स्वास्थ्य देखभाल तथा रख रखाव संबंधी संदर्भ पुस्तकालय होगा । प्रत्येक पशुचिकित्सा यूनिट में आने वाले पशुओं और बीमार पशुओं की देखभाल करने के लिए अलग तथा संगरोध वार्ड होंगे जिससे कि अन्य पशुओ में फैलने वाले संक्रमणों के अवसरों को न्यूनीकृत किया जा सके ।"

(viii) खंड (32) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् : -

"(32) प्रत्येक चिड़ियाघर में वन्य पशुओं को नियंत्रित और उनकी देख रेख करने के लिऐ सुविधाएं होगी ।"

(ix) खंड (33) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(33) जिन छोटे और बड़े चिड़ियाघरों में पूर्ण विकसित पशु चिकित्सा यूनिट उपलब्ध नहीं है, उनमें चिड़ियाघरों के परिसरों में कम से कम एक उपचार कक्ष होगा जहां पशुओं की नैमित्तिक जौंच की जा सके और तत्काल उपचार किया जा सके ।"

(x) खंड (34) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(34) ऐसा कोई पशु जिसकी चिड़ियाघर में मृत्यु हो जाती है तो उसकी राज्य पशु चिकित्सा परिषद या भारतीय पशु चिकित्सा परिषद से रजिस्ट्रीकृत किसी पशु चिकित्सक द्वारा विस्तृत पोस्ट मार्टम किया जाएगा और इसके निष्कर्ष अभिलिखित किए जाएंगे और जिन्हें कम से कम छह वर्ष की अवधि के लिए रखा जाएगा ।"

(xi) खंड (37) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(37) किसी पशु को, साथी के बिना एक वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए तब तक नहीं रखा जाएगा जब तक कि ऐसा करने के लिए विधिमान्य कारण न हों या पशु ने अपनी चरमावस्था पहले ही पार कर ली हो और प्रजनन प्रयोजनों के लिए उपयोगी नहीं रह गया हो । चिड़ियाघर के इस अवधि के भीतर किसी अकेले पशु के लिए साथी ढूंढने में असफल रहने की दशा में पशु को केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के निर्देशों के अनुसार किसी अन्य स्थान पर भेज दिया जाएगा ।"

(xii) खंड (39) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(39) प्रत्येक चिड़ियाघर राज्य के मुख्य वन्यजीव संरक्षक के परामर्श से केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित संकटापन्न प्रजातियों के योजनाबद्ध प्रजनन कार्यक्रम में भाग लेंगे । इस प्रयोजन के लिए वे केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के निदेश के अनुसार प्रजनन उधार, उपहार आदि के रूप में चिड़ियाघर के बीच पशुओं का आदान प्रदान करेंगे ।"

4. उक्त नियमों में, नियम 10 के पश्चात, निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

"(10क) सर्कसों और बचाव केन्द्रों की दशा में नियम 10 का लागू होना,

(1) नियम 10 के अधीन सर्कसों के लिए मान्यता देने की दशा में, खंड (8), (9), (10), (11), (17), (46), (47) और (51) के उपबंध लागू नहीं होंगे ।

(2) नियम 10 के अधीन बचाव केन्द्रों के लिए मान्यता देने की दशा में, खंड (10), (38), (46) और (51) के उपबंध लागू नहीं होंगे ।

टिप्पण :- मूल नियम भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 711 (अ) तारीख 6.8.1992 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात सा.का.नि. 520 अ तारीख 10.7.2001 द्वारा उनमें संशोधन किया गया ।

[फा. सं. 27-2/2003-सी.जैड.ए.]

विनोद ऋषि, अतिरिक्त महानिदेशक वन्य जीव व निदेशक, वन्य जीव संरक्षण

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th February, 2004

G.S.R. 106(E).—In exercise of the powers conferred by clause (g) of Sub-section (1) of Section 63 of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), the Central Government hereby makes following rules, further to amend the Recognition of Zoo Rules,1992, namely :—

1\. (1) These rules may be called the Recognition of Zoo (Amendment) Rules, 2004.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2\. In the Recognition of Zoo Rules, 1992 (hereinafter referred to as the said rules)- in rule 2,-

(a) for clause (dd), the following clause shall be substituted, namely:-

"(dd) 'critically endangered species' means an endangered species other than tiger, asiatic lion and panther whose total number in all the zoos in the country put together does not exceed 200.";

(b) after clause (f), the following clause shall be inserted, namely:-

"(ff) 'Rescue Centre' means an establishment for the care of animals specified in the Schedules to the Act and not open for exhibition to the public."

3\. In rule 10 of the said rules,-

(i) for clause (1), the following clause shall be substituted, namely:-

"(1) The primary objective to operate the zoo shall be conservation of wildlife and no zoo shall allow any activity that is not consistent with the well being of the wild animals.";

(ii) for clause (3), the following clauses shall be substituted, namely:-

"(3A) No zoo shall allow any animal to be subjected to the cruelties prohibited under the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960).";

"(3B) Animals pertaining to species whose performance has been banned under the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960), shall not be transported from place to place:

Provided that such animals may be permanently kept by circuses at a place of their choice with suitable housing facility.";

(iii) for clause (11A), the following clause shall be substituted, namely:-

"(11A) Every zoo shall prepare a collection plan of animals to be housed and displayed in the zoo, keeping due regard to the availability of land, water, electricity and climatic condition of the area.";

"(11B) Rescue centres may accept wild animals brought to them under intimation to the Chief Wild Life Warden.";

(iv) for clause (14A), the following clause shall be substituted, namely:-

"(14A) Every zoo shall have veterinarians of following description and educational qualifications, namely:-

Category	Senior Veterinarian	Junior Veterinarian
Large Zoo	1	1
Medium Zoo	1	0
Small Zoo	1	0

Senior Veterinarian: Should have minimum educational qualification of BV.Sc and AH or equivalent with a minimum of 5 years experience of working in a zoo recognised by the Central Zoo Authority, and should be duly registered with the State Veterinary Council or Veterinary Council of India.

Junior Veterinarian: Should have minimum educational qualification of B.V.Sc and AH with diploma in zoo and wildlife animal healthcare management or masters degree in Wildlife Disease and management from a recognized University, and should be duly registered with the State Veterinary Council or Veterinary Council of India.";

(v) for clause (16), the following clause shall be substituted, namely:-

"(16) All animal enclosures in a zoo shall be so designed as to meet the biological requirements of the animals housed therein. The enclosures

shall be of such size as to ensure that the animals get space for their free movement and exercise and the animals within herds and groups are not unduly dominated by individuals. In case of species, which cannot be kept in groups due to behavioural or biological reasons, separate enclosures shall be provided for each animal. The enclosures shall not be smaller than the dimensions given in Appendix II of these rules. These dimensions will not apply to circuses. However, when not in transit, the circuses shall provide the animals space for movement and exercise,";

(vi) for clause (18), the following clause shall be substituted, namely:-

"(18) Every mammal in the zoo shall be provided food inside a feeding cell/ retiring cubicle or feeding kraal. The number and size of feeding cells or kraals will also be such that the dominant animals do not deprive other animals from getting adequate food. The endangered mammalian species shall be provided individual feeding cells or night shelters of the dimensions as specified in Appendix I to these rules. Each cubicle or cell shall have resting, feeding, drinking water and exercising, facilities according to the biological needs of the species. Proper ventilation and lighting for the comfort and well being of animals shall be provided in each cell or cubicle or enclosure. These dimensions shall not apply to circuses in transit.";

(vii) for clause (31), the following clause shall be substituted, namely:-

"(31) Every large and medium zoo shall have a full-fledged veterinary unit with basic diagnostic facilities, comprehensive range of drugs and a reference library on animal health care and upkeep. Each veterinary unit shall have isolation and quarantine wards to take care of newly arriving animals and sick animals as to minimize the chances of infections spreading to other animals of the zoo.";

(viii) for clause (32), the following clause shall be substituted, namely:-

"(32) Every zoo shall have facilities for restraining and handling wild animals.";

(ix) for clause (33), the following clause shall be substituted, namely:-

"(33) The small and mini zoos where full-fledged veterinary unit is not available shall have at least a treatment room in the premises of the zoo where routine examination of animals can be undertaken and immediate treatment can be provided.";

(x) for clause (34), the following clause shall be substituted, namely:-

"(34) Any animal that dies in a zoo shall be subjected to a detailed post-mortem operation by a Veterinarian registered with State Veterinary Council or Veterinary Council of India and the findings of such operation shall be recorded and maintained for period of at least six years.";

(xi) for clause (37), the following clause shall be substituted, namely:-

"(37) No animal shall be kept without a mate for a period exceeding one year unless there is a valid reason for doing so or the animal has already passed its prime and is of no use for breeding purposes. In the event of a zoo failing to find a mate for any single animal within this period, the animal shall be shifted to some other place according to the directions of the Central Zoo Authority.";

(xii) for clause (39), the following clause shall be substituted, namely:-

"(39) Every zoo shall participate in planned breeding programme of endangered species as approved by the Central Zoo Authority in consultation with the Chief Wild Life Warden of the State. For this purpose, the zoo operator shall exchange animals between zoos, by way of breeding loans, gifts and the like as per the directions of the Central Zoo Authority.";

4. In the said rules, after rule 10, the following rule shall be inserted, namely:-

"(10A) Applicability of rule 10 in case of circuses and rescue centres.-

(1) In case of grant of recognition to circuses under rule 10, the provisions of clauses (8), (9), (10), (11), (17), (46), (47) and (51) thereof shall not apply.

(2) In case of grant of recognition to Rescue centres under rule 10, the provisions of clauses (10), (38), (46) and (51) thereof shall not apply.";

Note: The Principle rules were published in the Gazette of India vide GSR 711 (E) dated 6-8-1992 and subsequently amended vide GSR 520 (E) dated 10-7-2001.

[F.No. 27-2/2003-CZA]

VINOD RISHI, Addl. DGF (Wildlife) and Director, Wildlife Preservation

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.